

प्रेषक,

सुरेश चन्द्र,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 16 नवम्बर, 2017

विषय:-वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना (एस.सी.एस.पी.) हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पत्रांक-2712/खा.ग्रा.बो./मुमंगारोयो/पत्रा सं.49/2017-18, दिनांक 24 अगस्त, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग विभाग द्वारा प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना (एस0सी0एस0पी0) के अन्तर्गत नई /स्थापित इकाईयों की स्थापना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 255.00 लाख (रूपये दो करोड़ पचपन लाख मात्र) के सापेक्ष लेखानुदान के माध्यम से माह अप्रैल से अगस्त, 2017 तक (पांच माह हेतु) धनराशि रू0 106.00 लाख (रूपये एक करोड़ छः लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-15/2017/356/59-2-2017-31(खा)/2009, दिनांक 23 जून, 2017 द्वारा निर्गत की जा चुकी है तथा अवशेष धनराशि रू0 149.00 लाख (रूपये एक करोड़ उन्चास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति (संलग्न फॉट के अनुसार) व्यय करने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का जनपदवार विवरण संलग्नक में अंकित किया गया है उसी के अनुसार धनराशि का आहरण जनपद स्तर पर किया जायेगा।

3- धनराशि को एकमुश्त आहरित करके पी0एल0ए0/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। केवल तात्कालिक आवश्यकता होने पर नियमानुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति होने के उपरान्त राजकोष से धनराशि का आहरण किया जायेगा।

4- जिला ग्रामोद्योग अधिकारी इस सम्बन्ध में सुनिश्चित हो लेंगे कि ब्याज सब्सिडी की धनराशि सिर्फ और सिर्फ उन्ही उद्यमियों को स्वीकृत ऋण के सापेक्ष देय होगी जो योजना की पात्रता की शर्तें पूरी तरह से पूर्ण करते हो तथा जिनके ऋण आवेदन पत्र जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुमोदित हो, इसका पूर्ण उत्तरदायित्व जिला ग्रामोद्योग अधिकारी का होगा।

यदि यह पाया जाता है कि किसी अपात्र उद्यमी को योजना का लाभ प्राप्त हुआ है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित जिला ग्रामोद्योग अधिकारी का होगा।

5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-285/दस-2012-10(29)/2011टी0सी0। दिनांक 29-05-2012 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार धनराशि का भुगतान नगद व चेक के माध्यम से न करके सीधे लाभार्थी के खाते में NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रानिकली किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 6- स्वीकृत धनराशि व्यय उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र आहरण अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षर उपरान्त उपलब्ध कराया जायेगा।
- 7- योजनान्तर्गत धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत की जायेगी-
- (1) 30प्र0 के ग्रामीण क्षेत्र के 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के बेरोजगार नवयुवकों, परम्परागत कारीगरों एवं शिल्पियों को अधिकतम रू0 10.00 लाख (रूपये दस लाख मात्र) की व्यक्तिगत/साझेदारी इकाईयों को राष्ट्रीयकृत/ग्रामीण बैंकों (प्राइवेट बैंकों को छोड़कर) से वित्त पोषित कराया जायेगा। आई0टी0आई0, पालीटेक्निक संस्थाओं से प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार नवयुवकों को योजना में प्राथमिकता दी जायेगी।
  - (2) आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों (अनुसूचित जाति, के पुरुष व महिलाओं) को योजना के अन्तर्गत देय ब्याज की पूर्ण धनराशि ब्याज उपादान के रूप में राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में वहन की जायेगी।
  - (3) कुल स्वीकृत धनराशि का 1-1-1 प्रतिशत क्रमश- जागरूकता शिविर, प्रचार प्रसार, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के लिए प्राविधानित होगा जिसका उपयोग सम्बन्धित जिला ग्रामोद्योग अधिकारी/प्रबन्धक ग्रामोद्योग द्वारा स्वीकृत बजट के अनुसार किया जायेगा।
  - (4) स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार नाबाई से अनुमोदित प्रोजेक्ट तैयार कराकर नियमानुसार खादी बोर्ड द्वारा उद्यमियों का चयन करने के उपरान्त राष्ट्रीयकृत/ग्रामीण बैंकों से ऋण स्वीकृत कराया जायेगा।
  - (5) राष्ट्रीयकृत/ग्रामीण बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत कराने के उपरान्त इकाईयों के सफलतापूर्वक कार्य करने एवं उसके सदुपयोग करने के उपरान्त ही ब्याज की धनराशि अनुमन्य होगी, जिसका भुगतान सीधे उद्यमियों के बैंक खाते में सम्बन्धित बैंक की मांग के अनुसार किया जायेगा।
  - (6) स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी मद के लिये किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसके लिये प्रशासनिक विभाग उत्तरदायी होंगे।
  - (7) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत धनराशि से अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को ही लाभान्वित किया जायेगा।
  - (8) सम्बन्धित उद्यमियों द्वारा कार्य बन्द करने एवं धन का दुरुपयोग करते पाये जाने पर व्याज उपादान की धनराशि का भुगतान रोक दिया जायेगा तथा जो धनराशि भुगतान की जा चुकी है, उसकी वसूली बैंक द्वारा तत्काल उद्यमियों से नियमानुसार कर ली जायेगी।
  - (9) योजना का प्रचार-प्रसार प्रादेशित समाचारों के साथ रेडियों/दूरदर्शन से मुख्य कार्यपालक अधिकारी, 30प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ द्वारा नियमित रूप से कराया जाना सुनिश्चित कराया जायेगा।
  - (10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग एस0सी0एस0पी0 हेतु योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।
  - (11) स्वीकृत की गयी धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित प्रतिबन्धों / शर्तों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय विवरण प्रपत्र सं0- बी0एम0-8 समाज कल्याण व वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन को प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा।

8- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 की अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-06-मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना-0601-बेरोजगार नवयुवकों/परम्परागत कारीगरों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु अनुदान-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

9- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 एवं बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण की शासनादेश संख्या-07/26-ब0प्र0-2015, दिनांक 27 मार्च, 2015 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

**संलग्नक-यथोक्त।**

भवदीय,

( सुरेश चन्द्र )  
संयुक्त सचिव।

संख्या-36/2017/633(1)/59-2-2017-31(खा)/2009 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ।
- 4- निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
- 5- सम्बन्धित परिक्षेत्रीय/संयुक्त/उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ।
- 6- सम्बन्धित जनपदों के प्रबन्धक (ग्रामोद्योग) जिला ग्रामोद्योग अधिकारी।
- 7- सम्बन्धित जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी, जो योजनान्तर्गत आहरण एवं वितरण अधिकारी होंगे।
- 8- सम्बन्धित जनपदों के कोषाधिकारी।
- 9- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
- 10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4/ औद्योगिक विकास अनुभाग-2
- 11- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा परीक्षा विभाग उ0प्र0 इलाहाबाद
- 12- वित्त एवं लेखाधिकारी, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
- 13- बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 14- एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

( सुरेश चन्द्र )  
संयुक्त सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या- 36/2017/633/59-2-2017-31(खा)/2009, दिनांक 16 नवम्बर, 2017 का संलग्नक-  
 वित्तीय वर्ष 2017-18 में संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत अनुदान संख्या-83  
 (एस.सी.एस.पी.) में प्राविधानित धनराशि ₹0 2,55,00,000.00 (रूपये दो करोड़ पचपन लाख मात्र) के सापेक्ष अवशेष  
 धनराशि ₹0 149.00 लाख (रूपये एक करोड़ उन्चास लाख मात्र) की जनपदवार फांट:-

क्र0	जनपद का नाम	कुल प्राविधानित धनराशि (लाख ₹0 में)	प्रथम 5 माह हेतु निर्गत की गई धनराशि (लाख ₹0 में)	अवशेष 7 माह हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने हेतु धनराशि (लाख रुपये में)
1	आगरा	4.00	1.67	2.33
2	फिरोजाबाद	2.00	0.83	1.17
3	मैनपुरी	2.00	0.83	1.17
4	मथुरा	2.00	0.83	1.17
5	अलीगढ़	2.00	0.83	1.17
6	एटा	2.00	0.83	1.17
7	हाथरस	4.00	1.67	2.33
8	कासगंज	4.00	1.67	2.33
9	इलाहाबाद	4.00	1.67	2.33
10	फतेहपुर	4.00	1.67	2.33
11	कौशाम्बी	3.00	1.25	1.75
12	प्रतापगढ़	8.00	3.00	5.00
13	आजमगढ़	4.00	1.67	2.33
14	बलिया	2.00	0.83	1.17
15	मऊ	3.00	1.25	1.75
16	बैदायूं	4.00	1.67	2.33
17	बरेली	4.00	1.67	2.33
18	पीलीभीत	4.00	1.67	2.33
19	शाहजहांपुर	2.00	0.83	1.17
20	बांदा	3.00	1.25	1.75
21	हमीरपुर	4.00	1.67	2.33
22	चित्रकूट (कवी)	3.00	1.25	1.75
23	महोबा	4.00	1.67	2.33
24	बहराईच	3.00	1.25	1.75
25	बलरामपुर	4.00	1.67	2.33
26	श्रावस्ती	4.00	1.67	2.33
27	गोण्डा	3.00	1.25	1.75
28	बाराबंकी	6.00	2.50	3.50
29	अमेठी	3.00	1.25	1.75
30	फैजाबाद	4.00	1.67	2.33
31	सुल्तानपुर	3.00	1.25	1.75
32	अम्बेडकर नगर	4.00	1.67	2.33
33	देवरिया	4.00	1.67	2.33
34	गोरखपुर	4.00	1.67	2.33
35	महाराजगंज	4.00	1.67	2.33
36	कुशीनगर	4.00	1.67	2.33
37	बस्ती	4.00	1.67	2.33

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

38	संतकबीर नगर	2.00	0.83	1.17
39	सिद्धार्थनगर	2.00	0.83	1.17
40	जालौन	2.00	0.83	1.17
41	झांसी	1.00	0.42	0.58
42	ललितपुर	1.00	0.42	0.58
43	इटावा	1.00	0.42	0.58
44	औरैया	2.00	0.83	1.17
45	फर्रुखाबाद	3.00	1.25	1.75
46	कन्नौज	4.00	1.67	2.33
47	कानपुर देहात	4.00	1.67	2.33
48	कानपुर नगर	4.00	1.67	2.33
49	हरदोई	4.00	1.67	2.33
50	लखीमपुर खीरी	3.00	1.25	1.75
51	लखनऊ	3.00	1.25	1.75
52	रायबरेली	5.00	2.09	2.91
53	सीतापुर	5.00	2.08	2.92
54	उन्नाव	10.00	4.16	5.84
55	बागपत	1.00	0.42	0.58
56	बुलन्दशहर	1.00	0.42	0.58
57	गौतमबुद्ध नगर	1.00	0.42	0.58
58	गाजियाबाद	4.00	1.67	2.33
59	हापुड	3.00	1.25	1.75
60	मेरठ	4.00	1.67	2.33
61	मुजफ्फर नगर	4.00	1.67	2.33
62	शामली	2.00	0.83	1.17
63	सहारनपुर	2.00	0.83	1.17
64	बिजनौर	1.00	0.42	0.58
65	रामपुर	2.00	0.83	1.17
66	सम्भल	1.00	0.42	0.58
67	मुरादाबाद	2.00	0.83	1.17
68	जे०पी० नगर/अमरोहा	3.00	1.25	1.75
69	गाजीपुर	3.00	1.25	1.75
70	जौनपुर	10.00	4.17	5.83
71	वाराणसी	3.00	1.25	1.75
72	चंदौली	5.00	2.09	2.91
73	मिर्जापुर	6.00	2.50	3.50
74	संतरविदास नगर (भदोही)	5.00	2.09	2.91
75	सोनभद्र	4.00	1.67	2.33
<b>महायोग</b>		<b>255.00</b>	<b>106.00</b>	<b>149.00</b>
		<b>(रुपये दौं सौ पचपन लाख मात्र)</b>	<b>(रुपये एक सौ छः लाख मात्र)</b>	<b>(रुपये एक सौ उन्चास लाख मात्र)</b>

( सुरेश चन्द्र )  
संयुक्त सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।